

**अनुबंध- I**  
(पैरा 1.10 का संदर्भ)

राज्य का नाम	चयनित राजस्व जिला का नाम	चयनित एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम
आंध्र प्रदेश	1. ईस्ट गोदावरी 2. पश्चिम गोदावरी 3. कृष्णा	1. काकीनाडा (पूर्वी गोदावरी को कवर करते हुए) 2. टेड पल्ली गुदेम (पश्चिम गोदावरी को कवर करते हुए) 3. विजयवाड़ा (कृष्णा को कवर करते हुए)
बिहार	1. रोहतास 2. कैमूर 3. नालंदा 4. औरंगाबाद 5. पटना 6. भोजपुर 7. पूर्वी चंपारण	1. गया (रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद को कवर करते हुए) 2. पटना (पटना, नालंदा और भोजपुर को कवर करते हुए)
छत्तीसगढ़	1. रायपुर 2. बिलासपुर 3. दुर्ग 4. राजनांदगांव 5. धमतरी 6. महासमुंद 7. जांजगीर-चंपा	1. क्षेत्र कार्यालय रायपुर-( रायपुर, धमतरी, महसमुंद, बलोडा बाजार और गाजियाबाद राजस्व जिलों को कवर करते हुए) 2. क्षेत्र कार्यालय दुर्ग (दुर्ग, राजदांदगांव, बालोड, बेमेतरा, कबीरधाम, बस्तर, कौंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर राजस्व जिलों को कवर करते हुए। 3. क्षेत्र कार्यालय बिलासपुर-(बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली, कोरबा रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, करिया और जसपुर राजस्व जिलों को कवर करते हुए)
हरियाणा	1. करनाल 2. कुरुक्षेत्र 3. कैथल 4. फतेहाबाद	1. करनाल 2. कुरुक्षेत्र (कुरुक्षेत्र और कैथल को कवर करते हुए) 3. हिसार (फतेहाबाद को कवर करते हुए)
ओडिशा	1. बरगढ़ 2. भद्रक 3. बोलांगीर 4. देवगढ़ 5. कालाहांडी 6. मलकानगिरी 7. संबलपुर 8. सोनपुर	1. बालासोर 2. तितलगढ़ 3. संबलपुर 4. जयपुर

पंजाब	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मोगा</li> <li>2. लुधियाना</li> <li>3. संगरू</li> <li>4. पटियाला</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मोगा</li> <li>2. लुधियाना</li> <li>3. संगरू</li> <li>4. पटियाला</li> </ol>
तेलंगना	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नलगोंडा</li> <li>2. निजामाबाद</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नलगोंडा</li> <li>2. निजामाबाद</li> </ol>
उत्तर प्रदेश	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. इलाहाबाद</li> <li>2. अमेठी</li> <li>3. बस्ती</li> <li>4. देवरिया</li> <li>5. गाज़ीपुर</li> <li>6. गोरखपुर</li> <li>7. कुशीनगर</li> <li>8. महाराजगंज</li> <li>9. मिर्जापुर</li> <li>10. पीलीभीत</li> <li>11. शाहजहाँपुर</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. इलाहाबाद</li> <li>2. फैजाबाद (अमेठी को कवर करते हुए)</li> <li>3. गोरखपुर (बस्ती, देवरिया, गोरखपुर,</li> <li>4. कुशीनगर और महाराजगंज कवर करते हुए)</li> <li>5. वाराणसी (गाजीपुर और मिर्जापुर को कवर करते हुए)</li> <li>6. बरेली (पीलीभीत को कवर करते हुए)</li> <li>7. शाहजहाँपुर</li> </ol>

**अनुबंध - II**  
( पैरा 3.2.1 का संदर्भ )  
**एमएसपी भुगतान की प्रमाणिकता के बारे में संशय**

राज्य का नाम	चयनित जिले का नाम	संदेहास्पद एमएसपी राशि मूल्य ( ₹ करोड़ में )	अवधि	नमूना	टिप्पणियां
बिहार	सभी चयनित राजस्व जिले	₹14.88 (नकली: ₹ 6.82 करोड़, काल्पनिक: ₹ 3.07 करोड़ तथा अनियमित भूमि प्राप्ति : ₹ 4.99 करोड़)	2009-10 से 2013-14	14 ब्लॉक स्तर सर्कल कार्यालयों (शिव सागर, अकोधीगोला, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, उदवन्त नगर, आरा सदर, भबुआ, रामगढ़ ओबरा, दौंड नगर, फतुआ, बिहटा, मोतीहारी सदर, बंजारा)	भूमि अभिलेख रजिस्टर - II में की गई प्रविष्टि से मेल नहीं खाते जोकि सर्कल अधिकारी द्वारा रखे गए हैं।
हरियाणा	सभी चयनित राजस्व जिले	-	-	-	खाद्यान्न की खरीद से पूर्व किसानों से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए।
ओडिशा	भादरक एवं बरगाह	-	2013-14	608 (332 एवं 276) तिहीदी ब्लॉक में किसान एवं भद्रक और बारगड के बारगड वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के झारबंद प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसायटी	1. केएमएस 2013-14 के दौरान धान बेचने वाले किसानों के भूमि ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे। राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि धारण का कोई प्रमाणीकरण नहीं है। 2. जारी किए गए चेकों एवं खरीद रजिस्टर में निर्दिष्ट खाता धारकों के नाम बैंक अभिलेखों से अलग है।
	बोलानगीर	-	2011-12 से 2013-14	तुसुरा	6 किसानों के मामलों में 360.25 किंटल धान नकली एफआईसी संख्याओं के प्रति खरीदा गया था।

					4068.25 क्विंटल धान 16 किसानों से खरीदा गया था जिनके भूमि स्वामित्व/ कृषि क्षेत्र के ब्यौरे तुसुरा के राजस्व निरीक्षक के पास उपलब्ध नहीं थे।
	बोलानगीर	-	-	तुसुरा एवं सौतपुर प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव सोसायटीज	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4861.82 क्विंटल धान का किसानों की योग्यता सीमा के आधिक्य में उनसे खरीदा गया था।</li> <li>2. 12 किसानों को जारी किए गए चैकों को 6 अन्य व्यक्तियों को क्रेडिट किया गया था।</li> <li>3. 36 किसानों को जारी किए गए ₹ 0.19 करोड़ के चेकों में से केवल ₹ 0.08 करोड़ की राशि 13 किसानों के खातों में क्रेडिट की गई थी।</li> </ol>
पंजाब	सभी चयनित राजस्व जिले	-	-		खाधान्न खरीद से पूर्व किसानों से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने किसानों के किसान कार्ड या बैंक खाते की पुष्टि के बाद भुगतान की कोई भी शर्त निर्धारित नहीं की गई थी।
तेलंगाना	नालगोंडा और निजामाबाद	-	-		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में राबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2012-13 में, ₹ 40.75 करोड़ के मूल्य की 0.32 एलएमटी धान बिना महत्वपूर्ण जानकारी जैसे क्षेत्रफल (एकड़ की संख्या), भूमि वर्गीकरण, पट्टेदार किसानों का विवरण प्राप्त किये बिना 9244 किसानों से खरीदा गया था।</li> <li>2. 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में (51 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक) तेलंगाना राज्य में खारीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2013-14 के लिये पाहनी (भूमि अभिलेख) का विवरण खाली रखे गये थे। पट्टेदार किसानों का विवरण खारीफ और राबी 2013-14 के दौरान 51 प्रतिशत मामलों में खाली छोड़े गये थे।</li> <li>3. तेलंगाना राज्य के नालगोंडा और निजामाबाद जिले में, किसानों से 80302.94 क्विंटल धान की खरीद के लिये, बिक्री लेनदेन या तो</li> </ol>

बिना पहानी संख्या या एक ही पहानी संख्या पर किये गये थे।

4. निजामाबाद जिले में, जिला प्रशासन को धान खरीद केन्द्र (पीपीसी) द्वारा प्रदान किये गये आंकड़े के कई अधूरे और न भरे गये कॉलम थे।

5. नालगोंडा जिले में सिविल आपूर्ति निगम (सीएससी) से प्रत्यक्ष रूप से ऑन-लाइन भुगतान प्रणाली के गैर-क्रियान्वयन के कारण, सीएससी के पास क्षेत्रफल, भूमि वर्गीकरण विवरण, पट्टेदार किसानों का विवरण, धान रोपा गया क्षेत्रफल, अनुमानित उपज, पहानी संख्या आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित 25-कॉलम में जानकारी के संबंध में विवरण नहीं थे।

### एफसीआई क्षेत्र

एफसीआई क्षेत्र का नाम	चयनित कार्यालय का नाम	संदेहासपद एमएसपी राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	अवधि	नमूना	टिप्पणियाँ
आंध्र प्रदेश	सभी प्रतिदर्श कार्यालय	उपलब्ध नहीं	2012-13		84.12 एलएमटी धान (चावल के संदर्भ में) में से, 66.07 एलएमटी (78.54 प्रतिशत) जनवरी 2013 तक मिलमालिकों द्वारा खरीद गया था जबकि मिल उगाही दर भारत सरकार द्वारा, 4.2.2013 को बताई गई थी। यद्यपि मिल उगाही दर का दावा करते समय मिलमालिकों ने एमएसपी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, उपरोक्त विसंगतियों के कारण किसानों को पूर्ण एमएसपी का भुगतान संदेहपूर्ण है।
बिहार	सभी चयनित क्षेत्र कार्यालय	उपलब्ध नहीं	-	-	क्षेत्र कार्यालय पटना और गया (एफसीआई के अंतर्गत, बिहार क्षेत्र) में, कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे और भुगतान करने से पूर्व किसानों की यथार्थता के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी।
उत्तर प्रदेश	(गोरखपुर और महाराजगंज, राजस्व जिले	उपलब्ध नहीं	2009-10	22 संवीक्षा किये गये मामलों में से 19	किसानों के नाम और पहचान के संबंध में संशोधित किसान बहि/दस्तावेज।

## अनुबंध-III

( पैरा 3.2.3 का संदर्भ )

## मिलमालिकों द्वारा नकद में भुगतान

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि	नमूना	एमएसएपी भुगतान	टिप्पणियां
1.	उत्तर प्रदेश	2013-14	चयनित राजस्व जिले	मिलमालिक	धान की 0.21 एलएमटी के लिये नकद में ₹ 27.21 का भुगतान किया गया।
2.	ओडिशा	2013-14	भादरक राजस्व जिले में अदिती चावल मिल	मिलमालिक	32 किसानों को भुगतान किया गया। (धान की 46.33 एमटी के लिये ₹ 0.06 करोड़)
3.	आंध्र प्रदेश	2009-10 से 2013-14	चयनित जिले	मिलमालिक	एपीएससीएससी और आईकेपी द्वारा खरीद के मामले में, राज्य प्राधिकरण द्वारा पुष्टि न किये गये आदाता खाता चैक के माध्यम से एमएसपी का भुगतान।

## अनुबंध -IV

(पैरा 3.2.3 का संदर्भ)

## किसानों को एमएसपी के भुगतान में विलम्ब

क्र. सं.	राज्य का नाम	एमएसपी के भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	टिप्पणियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	खेत से खरीदे गए धान के मामले में औसतन 10 दिन पीपीसीज पर किये गए भुगतान के मामले में 55 दिन तक	आंध्रप्रदेश क्षेत्र के चयनित सभी तीन जिलों में विलम्ब देखा गया। आंध्रप्रदेश क्षेत्र के चयनित सभी तीन जिलों में विलम्ब देखा गया।
2.	हरियाणा	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो चयनित जिलों (करनाल एवं कैथल) में भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया गया।	
3.	ओडिशा	कालाहान्डी राजस्व जिले में 7 महीने का विलम्ब	
4.	तेलंगाना	30 दिन से अधिक (निर्धारित अवधि -3 दिन) 12 से 17 दिन (निर्धारित अवधि-3 दिन)	तैलगाना क्षेत्र के नालगौण्डा जिले में विलम्ब देखा गया। निजामाबाद जिले में विलम्ब देखा गया।
5.	उत्तर प्रदेश	10 से 86 दिनों का विलम्ब	महाराजगंज राजस्व जिले में 2012-14 के दौरान ₹ 0.98 करोड़ राशि के एमएसपी हेतु विलम्ब देखा।
<b>एफसीआई</b>			
6.	उत्तर प्रदेश	25 दिन तक (24 घंटे की निर्धारित अवधि)	23।5.96 एमटी के खरीद हेतु 8 राजस्व जिलों में विलम्ब देखा गया।

**अनुबंध – V**  
(पैरा 3.7 का संदर्भ)

**असुरक्षित धान के राज्यवार ब्यौरो**

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित जिले	अवधि	मिल मालिकों से ली गई प्रतिभूति का प्रकार	ली गई प्रतिभूति की राशि	खुले धान की कीमत (₹)	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा	सभी	2009-14	प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई	नहीं दिया गया	21.71 एलएमटी धान के लिए ₹2559.83 करोड़	यद्यपि समझौते में धान के मूल्य के बराबर बैंक गारंटीसमर्थक / प्रतिभूति या सीएमआर की सुपुर्दगी के लिए मिलों की ओर से लेने वाली चावल मिल मालिक एसोसियेशन से उत्तरदायित्व 'चयनबद्धता' लेने का प्रावधान है किन्तु आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया था।
2.	बिहार	सभी	2011-12	प्रत्येक मिल मालिक से मांग ड्राफ्ट के रूप में ₹ 0.50 लाख प्रतिभूति जमा	₹ 0.50 लाख	प्रतिभूति जमा प्राप्त किया गया परन्तु अनुबंध के अनुसार अग्रिम चावल प्राप्त नहीं किया गया था	अनुबंध की शर्तों के अनुसार मिल मालिकों द्वारा ₹ 0.50 लाख के प्रतिभूति अग्रिम तथा अग्रिम चावल की सुपुर्दगी का प्रावधान करती थी, जिसमें से मिल मालिकों से अग्रिम चावल प्राप्त नहीं किया गया था।
			2013-14	बैंक गारन्टी	₹ 5 लाख	प्रतिभूति जमा तथा अचल सम्पत्ति का गिरवी विलेख प्राप्त किया	1. केएमएस 2013-14 के दौरान बैंक गारन्टी की राशि तथा प्रतिभूति जमा ₹ 5 लाख दो एमटी प्रति दिन तक ₹ 10 लाख पांच एमटी प्रतिदिन तक तथा ₹ 15 लाख पांच से अधिक एमटी प्रतिदिन के प्रतिभूति जमा के रूप में निर्धारित किया गया था। चूक की स्थिति में

					गया था परन्तु विलेख पंजीकृत नहीं थे		वसूली को सुरक्षित करने के लिए अचल सम्पत्ति का गिरवी विलेख भी प्राप्त किया जाना था। 2013-14 के दौरान मिल मालिकों से प्राप्त किया गया अचल सम्पत्ति का गिरवी विलेख पंजीकृत नहीं था जिसके कारण विहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 1914 के तहत विलेख संबंधी प्रावधानों की अन्वयावधि हुई थी।
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर	2013-14	उत्तर दिनांकित चेक	₹ 2.62 करोड़	₹ 0.64 करोड़	2. दिशा निर्देशों में धान की मात्रा तथा लागत के अनुपात में प्रतिभूति जमा का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। समय पर सीएमआर की सुपुर्दगी ना करने के मामले में वसूली एवं शास्ति के लिए अनुबंध में खंड शामिल नहीं किया गया था।
4.	हरियाणा	सब	2009-10 से 2013-14	उत्तर दिनांकित चेक	नहीं दिया गया	दिया नहीं गया	छत्तीसगढ़ और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच 1995.18 एमटी के लिए अन्तर्राज्य मिलिंग समझौते में आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के अन्य मिल मालिकों से ₹ 0.97 करोड़ (₹ 2.62 करोड़ में से) की अनियमित रूप से वसूली की गई थी।
5.	ओडिशा	सब	2009-14	संग्रह ना की गई प्रतिभूति	₹ 53.44 करोड़	₹ 2270.09 करोड़	एसजीएज की ₹ 122.10 करोड़ तक की निधि अवरूद्ध हो गई थी तथा परिणामस्वरूप ₹ 2.59 करोड़ की गैर-वसूली के साथ अनावश्यक मुकदमों में संलिप्त हो गई थी।
							1. पिसाई क्षमता के अनुसार प्रतिभूति जमा का संग्रह ना करने के परिणामस्वरूप केएमएस 2009-14 के चयनित मिल मालिकों से चयनित जिले से ₹ 139.66 करोड़ कम संग्रह हुआ सिवाए सोनपुर के। 2. मै. मानिक्यम राईस मिल के मामले में 41059.15 क्विंटल धान उठाया गया था और केवल 11073.313 क्विंटल चावल की सुपुर्दगी की गई तथा केएमएस के 2013-14 सीएमआर 16846.909 क्विंटल का शेष छोड़ते हुए चावल की सुपुर्दगी जो ₹ 3.66 करोड़ राशि की थी जिसके प्रति केवल ₹ 50 लाख की उपलब्ध बैंक गारंटी ली गई थी (नवम्बर 2014) तथा शेष राशि की वसूली प्रतीक्षित है (दिसम्बर

						2014)	
						<p>3. केएमएस 2012-13 के लिए ₹ 11.31 करोड़ मूल्य के 7590.053 एमटी धान की वसूली अभी मंगलम एग्री टेक (पी) लि. से की जानी शेष है (सितम्बर 2014) जिसके प्रति केवल ₹ 18.50 लाख की प्रतिभूति जमा उपलब्ध है।</p> <p>4. भारतगढ़ जिले में 2013-14 के केएमएस के लिए पांच चयनित मिल मालिकों (श्री महालक्ष्मी राईस इण्डस्ट्रीज, उत्कल इण्डस्ट्रीज, उत्कल इण्डस्ट्रीज, श्री ज्योति राईस इण्डस्ट्रीज, लक्ष्मी नारायण पैडी प्रोसोसिंग प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवेनी फूड प्रोडक्ट्स) से प्रतिभूति जमा का संग्रह ना होना।</p>	
6.	उत्तर प्रदेश	9 (कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, बस्ती)	2009-10 से 2013-14	पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई। (प्रतिभूति सावधि जमा तथा बैंक गारन्टी के रूप में प्राप्त की गई)	₹ 6.82 करोड़	₹ 390.53 करोड़	2009-10 से 2013-14 के दौरान बैंक गारन्टी प्राप्त किये बिना मिल मालिकों को ₹ 390.53 करोड़ राशि के 3.62 एलएमटी धान की सुपुर्दगी की गई थी।
<b>एफसीआई क्षेत्र</b>							
7.	छत्तीसगढ़	रायपुर	2009-10 से 2013-14	प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया	एफसीआई जिला कार्यालय रायपुर में 1010 मामलों में से 272 मामलों में ठेको की पूर्णता प्रतिभूति जमा की उपलब्धता से संबंधित विवरण जिला कार्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध नहीं थे मिल मालिकों द्वारा प्रतिभूति जमा की प्रस्तुती असत्यापित थी।

**अनुबंध -VI**  
(पैरा 4.4 का संदर्भ)

**धान/चावल के संचलन हेतु ट्रक के अलावा उपयोग किए गए परिवहन के साधन, उत्तर प्रदेश**

क्रम सं.	जिले का नाम	एसजीए का नाम	खरीद केन्द्र	वाहन का प्रकार	परिवहन की अवधि	परिवहन किए गए की मात्रा (क्विंटल में)
1.	महाराजगंज	एफएसडी*	महाराजगंज	मोटरसाइकिल	16.12.2010	60.00
		प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ)	रामहोली	ऑटो रिक्शा	11.12.2010 से 20.12.2010 तक	2000.00
2.	गोरखपुर	एफएसडी	चारगांवा	जीप टेक्सी	17.12.2012	150.00
			खोरबर	बस	25.12.2009	160.00
			खोरबर	मोटरसाइकिल	15.12.2010 से 19.1.2011 तक	663.60
3.	शाहजंनपुर	पीसीएफ	चौदपुर - वाराणसी	ऑटो रिक्शा	11.01.11 और 19.12.11	398.98
			अतसालीर - रोजा	जीप टेक्सी	22.11.2011 तथा 11.12.11	358.60
		एफएसडी	जलालाबाद	मोटरसाइकिल	24.11.2010	176.80
4.	देवरिया	एफएसडी	देवरिया	पीक अप वैन	3.12.2011 से 7.1.2012 तक	600.00
5.	पीलीभीत	एफएसडी, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीयूएसएस) और उत्तर प्रदेश एग्री	पीलीभीत मण्डी, नेवरीया	ठेला (जुगार), थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, स्कूटर कम्बाइन (पैडी कटर)	27.01.10 से 26.11.12 तक	25629.67
6.	इलाहाबाद	एफएसडी	मेजा रोड एवं मेजा तहसील	ऑटो-रिक्शा, विक्रम, बस, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर और कार	09.12.11 से 31.01.14 तक	4453.60

7.	गाजीपुर	विभाग एवं पीसीएफ	सदर, जंगीपुर, मर्दाह, एसएसएस मुबारकपुर, एसएसएस सुल्तानपुर	मोटरसाइकिल, कार	04.12.11 से 12.02.14 तक	7909.20
8.	मिर्जापुर	एफएसडी	गौपुरा तथा मिर्जापुर/राजेश ट्रेडिंग	टैंकर, कार एवं ऑटो रिक्शा	26.12.10 से 22.02.14 तक	1370.00
9.	बस्ती	एफएसडी	सौगात एवं बहादुरपुर	मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा, बस, एवं जीप टेक्सी	30.12.11 से 20.03.13 तक	1711.00
10	अमेठी	एफएसडी	गौरीगंज एवं जैस	मोपेड एवं क्वालिस	11.12.12 से 24.01.14 तक	4917.60
<b>कुल</b>						<b>50559.05</b>
लागत =परिवहन किए गए की मात्रा* संबंधित केएमएस का न्यूनतम समर्थन कीमत						<b>₹ 5.50 करोड़</b>

\* खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

**अनुबंध -VI**  
(पैरा 4.4 का संदर्भ)

**धान/चावल के संचलन हेतु ट्रक के अलावा उपयोग किए गए परिवहन के साधन जिला - पटना (2013-14)**

क्रम सं.	वाहन का प्रकार (1)	परिवहन किए गए धान /सीएमआर की मात्रा (क्विंटल में) (2)	से (3)	तक (4)	हैंडलिंग प्रभार सहित परिवहन की लागत (₹ में) (5)	प्रति क्विंटल एमएसपी / लागत मूल्य (6)	कुल लागत (₹ में) (7)=(2)*((6)
1	डिलीवरी वैन	90.00	खरीद केन्द्र	मै. बाबा सिद्धी विनायक राइस मिल, मसौधी	3287	1560	1,40,400
2	डिलीवरी वैन	90.00	खरीद केन्द्र	मै. बाबा सिद्धी विनायक राइस मिल, मसौधी	3287	1560	1,40,400
3	लोडर (मिडियम माल वाहन )	200.00	खरीद केन्द्र लाला भुस्वर	अपोलो राइस मिल, अम्हरा, बिहटा	7530	1560	3,12,000
4	लोडर	90.00	खरीद केन्द्र	माँ अम्बे राइस मिल, सोनार, फतुहा	2987	1560	1,40,400
5	लोडर	90.00	खरीद केन्द्र	माँ अम्बे राइस मिल, सोनार, फतुहा	2987	1560	1,40,400
6	लोडर	90.00	खरीद केन्द्र	माँ अम्बे राइस मिल, सोनार, फतुहा	2987	1560	1,40,400
7	डिलीवरी वैन	135.55	माँ वैष्णो राइस मिल, फतुहा	एफसीआई डिपो मोकामा	7043	2478.56	3,35,969
8	डिलीवरी वैन	89.60	अपोलो राइस मिल	एफसीआई डिपो फुलवारी	3320	2478.56	2,22,079
9	डिलीवरी वैन	90.20	आर.के. गुप्ता राइस मिल खेदलपुर	एफसीआई डिपो फुलवारी	3305	2478.56	2,23,566
	<b>कुल</b>	<b>965.35</b>					<b>17,95,614</b>

अनुबंध-VI (जारी...)

धान/चावल के संचलन हेतु ट्रक के अलावा उपयोग किए गए परिवहन के साधन  
जिला-मोतीहारी, बिहार, (2013-14)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	परिवहन की गई धान/सीएमआर की मात्रा (क्विंटल में)	से	तक	सम्वहलाई प्रभारों सहित परिवहन लागत (₹ में)	प्रति क्विंटल एमएसपी/लागत मूल्य	कुल मूल्य (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)*(6)	
1	ट्रैक्टर (कॉम)	250.00	पीपीसी/रक्सौल	त्रिदेव चावल मिल	लागू नहीं	1560	3,90,000.00
2.	एसएफसी/407 (मध्यम माल वाहन)	130.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,02,800.00
		130.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,02,800.00
		120.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,87,200.00
		120.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,87,200.00
		104.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,62,240.00
		200.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,12,000.00
		200.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,12,000.00
		230.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,58,800.00
		224.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,49,440.00
		190.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,96,400.00
		180.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,80,800.00
196.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,05,760.00		
3.	सैलून (एलएमजी)	200.00	वही	विकास चावल मिल, रक्सौल	लागू नहीं	1560	3,12,000.00
4.	ट्रैक्टर	140.80	बेस गोदाम	एस.के. चावल मिल, कोलहारवा	लागू नहीं	1560	2,19,648.00
5.	डिलीवरी वैन	200.00	वही	जय अम्बे चावल मिल, छपवा	लागू नहीं	1560	3,12,000.00
6.	ट्रेलर	160.00	वही	पीपीसी, चौरादानों	लागू नहीं	1560	2,49,600.00
7.	पिक-अप	240.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	3,74,400.00

8.	पिक-अप	140.00	वही	शकील चावल मिल, रामगढ़वा	लागू नहीं	1560	2,18,400.00
	पिक-अप	132.80	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,07,168.00
	पिक-अप	142.00	वही	बाबा बेकुंठनाथ चावल मिल चौरादानों	लागू नहीं	1560	2,21,520.00
	पिक-अप	142.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,21,520.00
	पिक-अप	144.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,24,640.00
	पिक-अप	114.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,77,840.00
	पिक-अप	98.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,52,880.00
	पिक-अप	100.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,56,000.00
9.	पिक-अप	200.00	वही	एस.के. चावल मिल, कोलहारवा	लागू नहीं	1560	3,12,000.00
	<b>कुल</b>	<b>4,427.60</b>					<b>69,07,056.00</b>

### जिला-आरा (2013-14)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	परिवहन की गई धान/सीएमआर की मात्रा (क्विंटल में)	से	तक	हैंडलिंग प्रभारों सहित परिवहन लागत (₹ में)	प्रति क्विंटल एमएसपी/लागत मूल्य (₹ में)	कुल मूल्य (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)*(6)	
1	हल्के माल वाहन-407 मॉडल	80.00	बी.एस.आरा	माँ तारा मॉर्डन रार्डस मील, अकोना	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
		80.00	वही	वही	लागू नहीं	1560	1,24,800.00
	<b>कुल</b>	<b>640.00</b>					<b>9,98,400.00</b>

## अनुबंध-VI (जारी...)

धान/चावल के संचलन हेतु ट्रक के अलावा उपयोग किए गए परिवहन के साधन  
जिला-नालंदा, बिहार (2013-14)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	परिवहन की गई धान/सीएमआर की मात्रा (क्विंटल में)	से	तक	हैंडलिंग प्रभारों सहित परिवहन लागत (₹ में)	प्रति क्विंटल एमएस पी/लागत मूल्य (₹ में)	कुल मूल्य (₹ में)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)*(6)
1.	ऑटो-रिक्शा	150.20	बेस गोदाम	माँ गायत्री राईस मिल, हेरनौट	लागू नहीं	1560	2,34,312.00
2.	जीप	149.30	वही	वही	लागू नहीं	1560	2,32,908.00
<b>कुल</b>		<b>299.50</b>					<b>4,67,220.00</b>
<b>कुल=</b> (पटना+मोतीहारी+आरा +नालंदा)		<b>6332.45</b>					<b>1,01,68,290</b>

## अनुबंध-VI (जारी...)

धान/चावल के संचलन हेतु ट्रक के अलावा उपयोग किए गए परिवहन के साधन-छत्तीसगढ़ राज्य

विपरण काल	जिले का नाम	मिल-मालिक का नाम	विमोचन आदेश जारी करने की तिथि	धान की आपूर्ति		धान की दर (₹ राशि प्रति क्विंटल)	मूल्य (राशि ₹ में)	मंडी/गोदाम का नाम जहां से धान का विमोचन हुआ	वाहन संख्या पर निवासन (गोदाम मंडी से मिल तक)
				दिनांक	मात्रा (क्विंटल में)				
1	2	3	4	5	6	7	8(6*7)		
2009-10	जांजगिर-चंपा	भगवती राइस मिल (एमए542909)	13/03/2010	18/03/2010	142.23	950	135119	अकलतारा	सीजी10जी03 63 मीनी बस
2009-10	जांजगिर -चंपा	भगवती राइस मिल (एमए542909)	13/03/2010	18/03/2010	14.40	950	13680	अकलतारा	सीजी10जी03 63 मीनी बस
2009-10	जांजगिर -चंपा	तिरूपती चावल इंडस्ट्रीज (एमए542755)	17/03/2010	18/03/2010	20.48	950	19456	अकलतारा	सीजी10जी03 63 मीनी बस
2012-13	रायपुर	बालाजी एंटरप्राइसिस (एमए441248)	20/07/2013	23/07/2013	37.84	1250	47300	अभानपुर	सीजी 04 बी 7957 लाइट मोटर वेहिकल-कार
2011-12	राजनंदगांव	अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज (एमए421471)	08-03-2012	08-04-2012	167.92	1080	181354	थेलकडीह	सीजी08ए328 2 मोटर साइकिल
2012-13	रायपुर	अग्रसेन इंडस्ट्रीज (एमए441569)	30/04/2013	05-03-2013	166.56	1250	208200	लखोली	सीजी04 जेबी 1556 हल्का माल वाहन
<b>कुल</b>					<b>549.43</b>		<b>605109</b>		

**अनुबंध -VII**  
(पैरा 4.5.2 का संदर्भ)

**मिल मालिकों के चयन में जिलावार कमियाँ**

राज्य सरकार/एसजीए				
क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित जिले	अवधि	टिप्पणियाँ
1.	ओडिशा	3(कालाहांडी, भद्रक, बारगढ़)	केएमएस 2009-10 से 2013-14	<p>14 मामलों में मिल मालिक केएमएस 2009-10 से 2013-14 के लिए देय सीएमआर (6523.45 एमटी) की निर्धारित प्रतिशतता देने में विफल रहे फिर भी अगले सालों में इनका चयन किया गया।</p> <p>सभी मामलों में केएमएस 2009-14 के लिए मिलमालिकों के चयन के समय मिल मालिकों की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया गया।</p> <p>7 मामलों में, मिल मालिकों से समझौता निष्पादित करने से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी और भूमि दस्तावेजों के साथ पंजीकरण विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे।</p> <p>सोनपुर जिले में मिलमालिकों के पैन/टिन पंजीकरण का पता लगाने के लिए केएमएस 2012-13 के लिए 24 मिल मालिकों में से 13 के मिलर कोड़ उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>बोलांगिर जिले में, बिजली कनेक्शन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी (सात मामले); प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी (18 मामलों); 36 मामलों में वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी; 11 मामलों में बोयलर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे; 41 मामलों में से 15 में जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे।</p>
2.	आंध्र प्रदेश		केएमएस 2009-10 से 2013-14	पश्चिम गोदावरी जिले में केएमएस 2009-10 और 2010-11 कृष्णा जिले में केएमएस 2010-11, और 2011-12 के लिए और पूर्व गोदावरी जिले के केएमएस 2009-10 से 2013-14 के लिए चावल मिल मालिकों के साथ करार नहीं किया गया।
3.	तेलंगना		केएमएस 2009-10 से 2013-14	तेलंगाना क्षेत्र के निज़ामाबाद और नलगोंडा जिले में चावल मिलों के साथ सिविल सप्लाय कारपोरेशन के जिला प्रबंधकों ने करार नहीं किया था।

एफसीआई क्षेत्र	
4.	<p>बिहार क्षेत्र</p> <p>चावल मिलमालिकों की चयन प्रक्रिया में कोई परिदर्शिता नहीं थी क्योंकि एफसीआई अधिप्राप्त धान की मिलिंग के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से संभावी चावल मिल मालिकों से कोई रुचि प्रकटन/प्रस्ताव के लिए निवेदन आमंत्रित नहीं किया गया था।</p> <p>एफसीआई धान की मिलिंग में लगी चावल मिलों का यह जानने के लिए कि क्या धान की वास्तविक मिलिंग की गई थी या चावल की आपूर्ति अन्य स्रोतों के माध्यम से की गई कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।</p> <p>केएमएस 2010-11 के दौरान, संबंधित चावल मिलों के साथ धान अधिप्राप्ति केन्द्रों (पीपीसी) की कोई टेगिंग नहीं थी।</p> <p>राजस्व जिला रोहतास के अलावा केएमएस 2009-10 के लिए कोई मिलिंग करार उपलब्ध नहीं किया गया था।</p>

## अनुलग्नक-VIII

(पैरा 5.1.1 के संदर्भ में)

मिल-मालिकों द्वारा गौण-उत्पाद की बिक्री पर कुल अतिरिक्त प्राप्ति

वर्ष राज्य	जिला	सौरमसार खरीद (एमटी)	लेवी चावल खरीद (एमटी)	प्रति एमटी पर मिलिंग लागत से (₹ में)	सह उत्पाद से उगाही प्रति एमटी (₹ में)	कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)	राज्य के लिए कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)
1	2	3	4	5	6	(7)=(6)-(5)	(8)=[(3)+(4)]X7
2009-10							
आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	1322.71	3294114.00	1050.00	1551.79	501.79	1653617186.71
	ईस्ट गोदावरी	उपलब्ध नहीं	2275023.00	310.00	1997.60	1687.6	3839328814.80
उत्तर प्रदेश		1322.708	5569137.00	680.00	1774.70	1094.695	
	कुशीनगर	35796.23	11229.48	937.50	548.43	-389.07	-18296292.99
	देवरिया	33518.10	14644.47	358.20	383.89	25.69	1237296.42
	गोरखपुर	45925.62	16532.76	651.20	464.50	-186.70	-11660979.55
	महाराजगंज	49522.79	33593.04	500.50	602.50	102.00	8477814.66
	बस्ती	46734.27	0.00	916.70	846.67	-70.03	-3272800.93
	मिर्जापुर	19571.19	44286.95	644.47	390.30	-254.17	-16230823.44
	पीलीभीत	95053.49	44199.12	700.00	847.47	147.47	20535582.40
	शाहजंजपुर	89850.00	21708.81	809.72	902.11	92.39	10306918.46
	गाजीपुर	28887.46	106199.75	733.33	575.50	-157.83	-21320814.35
		444859.15	292394.38	694.62	617.93	-76.69	
छत्तीसगढ़	दुर्ग	639314.35	उपलब्ध नहीं	350.00	1253.84	903.84	577837882.10
	राजनांदगांव	182148.06	उपलब्ध नहीं	350.00	1043.30	693.30	126283250.00
		821462.41		350.00	1148.57	798.57	

वर्ष /राज्य	जिला	सीएमआर खरीद (एमटी)	लेवी चावल खरीद (एमटी)	प्रति एमटी पर मिलिंग लागत से (₹ में)	सह उत्पाद से उगाही प्रति एमटी (₹ में)	कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)	राज्य के लिए कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)
2010-11							
आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	168016.70	3913340.00	1150.00	2064.85	914.85	3733829177.00
	ईस्ट गोदावरी	9308.12	2352082.00	350.00	2275.60	1925.60	4547092815.07
		177324.822	6265422.000	750.00	2170.23	1420.23	
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	44974.34	10791.06	1012.50	601.00	-411.50	-22947462.10
	देवरिया	56545.68	12228.70	472.70	529.68	56.98	3918764.172
	गोरखपुर	54621.32	17816.50	749.30	491.80	-257.50	-18652738.65
	महाराजगंज	57999.09	27978.22	703.30	662.17	-41.13	-3536246.76
	बस्ती	46870.22	16887.59	933.33	1013.33	80.00	5100624.80
	मिर्जापुर	39387.36	28564.66	808.30	391.20	-417.10	-28342787.54
	पीलीभीत	67082.08	16821.24	700.00	1031.35	331.35	27801365.08
	शाहजंनपुर	87833.00	21708.81	792.10	1201.80	409.70	44879279.56
	अमेठी	26268.70	19434.20	617.50	926.00	308.50	14099344.65
	गाजीपुर	38524.76	159278.64	1015.91	713.64	-302.27	-59790033.72
		520106.55	331509.61	780.49	756.20	-24.30	
छत्तीसगढ़	दुर्ग	795368.35	उपलब्ध नहीं	400.00	1221.47	821.47	653371238.47
	राजनांदगांव	318544.01	उपलब्ध नहीं	400.00	1112.90	712.90	227090024.73
		1113912.36		400.00	1167.18	767.18	

वर्ष /राज्य	जिला	सीएमआर खरीद (एमटी)	लेवी चावल खरीद (एमटी)	प्रति एमटी पर मिलिंग लागत से (₹ में)	सह उत्पाद से उगाही प्रति एमटी (₹ में)	कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)	राज्य के लिए कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)
2011-12							
आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	13477.56	3318481.00	1260.00	2095.08	835.08	2782451954.28
	ईस्ट गोदावरी	5350.57	1636144.00	530.00	2091.97	1561.97	2563965273.50
तेलंगाना		18828.125	4954625.00	895.00	2093.53	1198.53	
	निजामाबाद	292036.59	1398270.63	1150.00	1555.00	405.00	684574424.10
उत्तर प्रदेश		292036.59	1398270.63				
	कुशीनगर	65165.08	6444.04	1212.50	664.71	-547.79	-39226759.85
	देवरिया	76924.21	15109.10	461.90	565.02	103.12	9490474.93
	गोरखपुर	85065.61	21750.91	811.30	533.80	-277.50	-29641584.30
	महाराजगंज	92966.85	36657.27	754.30	764.43	10.13	1313092.34
	बस्ती	62596.08	19018.34	933.30	926.67	-6.63	-541375.65
	मिर्जापुर	66952.36	54792.86	775.50	375.50	-400.00	-48698088
	पीलीभीत	80527.19	42875.07	700.00	1049.35	349.35	43110579.53
	शाहजनपुर	95804.00	36285.06	718.60	1151.70	433.10	57207771.89
	अमेठी	60704.77	18612.65	723.00	1117.50	394.50	31290722.19
गाजीपुर	66003.85	157020.47	1155.30	896.67	-258.63	-57680779.88	
		752710.00	408565.76	824.57	804.53	-20.04	
छत्तीसगढ़	दुर्ग	1009920.10	उपलब्ध नहीं	450.00	974.80	524.80	530006068.48
	राजनांदगांव	392527.16	उपलब्ध नहीं	450.00	1215.90	765.90	300636551.84
		1402447.26		450.00	1095.35	645.35	

वर्ष /राज्य	जिला	सीएमआर खरीद (एमटी)	लेवी चावल खरीद (एमटी)	प्रति एमटी पर मिलिंग लागत से (₹ में)	सह उत्पाद से उगाही प्रति एमटी (₹ में)	कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)	राज्य के लिए कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)
2012-13							
आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	7442.99	3872027.00	1380.00	2276.26	896.26	3477013773.23
	ईस्ट गोदावरी	1463.20	1961845.00	550.00	1877.50	1327.5	2606291635.50
तेलंगाना	निजामाबाद	8906.185	5833872.000	965.00	2076.88	1111.88	
		124525.36	1175440.00	1220.00	1788.00	568.00	738380324.48
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	50189.56	2540.29	1327.50	629.83	-697.67	-36788034.45
	देवरिया	44663.95	6534.39	714.90	662.48	-52.43	-2683816.98
	गोरखपुर	54010.01	5450.23	952.70	584.00	-368.70	-21922990.49
	महाराजगंज	55034.67	9421.05	819.90	834.47	14.57	939119.84
	बस्ती	34829.81	2578.25	933.30	930.00	-3.30	-123446.60
	मिर्जापुर	52569.20	52305.70	807.20	471.67	-335.53	-35188675.20
	पीलीभीत	37139.21	28534.50	700.00	1319.57	619.57	40689460.51
	शाहजन्पुर	85766.52	18045.09	753.90	1510.19	756.29	78511682.53
	अमेठी	47779.16	5406.51	813.33	1265.21	451.88	24033540.56
	गाजीपुर	47178.11	124040.60	1300.00	1069.30	-230.70	-39500156.40
छत्तीसगढ़		509160.21	254856.61	912.27	927.67	15.40	
	दुर्ग	347900.23	उपलब्ध नहीं	450.00	1582.73	1132.73	394077027.53
	राजनांदगांव	444609.39	उपलब्ध नहीं	450.00	1343.40	893.40	397214029.03
		792509.62		450.00	1463.06	1013.06	

वर्ष /राज्य	जिला	सीएमआर खरीद (एमटी)	लेवी चावल खरीद (एमटी)	प्रति एमटी पर मिलिंग लागत से (₹ में)	सह उत्पाद से उगाही प्रति एमटी (₹ में)	कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)	राज्य के लिए कुल अधिक प्राप्ति (₹ में)
2013-14							
आंध्र प्रदेश	वेस्ट गोदावरी	2617.20	1867658.00	1520.00	2482.23	962.23	1799634905.69
	ईस्ट गोदावरी	192.320	2046697.00	570.00	2796.47	2226.47	4557337664.30
तेलंगाना		2809.515	3914355.000	1045.00	2639.35	1594.35	
	निजामाबाद	326511.09	685958.62	1470.00	1901.00	431.00	436374445.01
उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	3224.94	212.20	1350.00	696.83	-653.17	-2245036.73
	देवरिया	11633.97	1386.00	826.60	601.91	-224.69	-2925457.06
	गोरखपुर	12084.06	3165.33	1028.30	620.30	-408.00	-6221751.12
	महाराजगंज	15239.64	924.23	896.70	894.00	-2.70	-43642.45
	बस्ती	2121.27	0.00	933.30	1016.67	83.37	176850.28
	मिर्जापुर	13438.25	28245.58	791.70	468.50	-323.20	-13472213.86
	शाहजमपुर	18833.28	10708.40	841.70	1306.00	464.30	13716202.02
	अमेठी	26214.85	3046.82	934.67	1357.89	423.22	12384123.98
	गाजीपुर	4866.39	52381.67	1383.33	1265.00	-118.33	-6774162.94
			107656.64	100070.23	998.48	914.12	-84.36
छत्तीसगढ़	दुर्ग	397921.00	उपलब्ध नहीं	500.00	1471.85	971.85	386719523.85
	राजनांदगांव	510795.53	उपलब्ध नहीं	500.00	1508.90	1008.90	515341610.22
		908716.53		500.00	1490.38	990.38	
		8325805.12	31184476.84			कुल अतिरिक्त वसूली	37429961259.00